

D.N. - 20/26
29/9/24

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल(म0प्र0)

आदेश

क्रमांक 1571/तीन-3-4/2000

भोपाल दिनांक 28 सितम्बर, 2026

माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जारी मध्यप्रदेश जिला न्यायालय पदस्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियम 2016 राजपत्र प्रकाशन दिनांक 28 जून, 2019 एवं ज्ञापन क्रमांक बी/2195/तीन-17-79/18 जबलपुर दिनांक 29.06.2020 के निर्देशों के अनुपालन में विभागीय पदोन्नति समिति के प्रतिवेदन दिनांक 26.09.2026 में की गई अनुशंसा के अनुमोदन उपरान्त श्री विजय सिंह भदौरिया, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कलेक्टर रेट पर) को नियमित भृत्य के रिक्त पद (वेतनमान ₹ 15500-49000(लेवल-1)) में पदभार ग्रहण करने की दिनांक से प्रारंभिक मूल वेतन रुपये 15,500/-में स्थानापन्न रूप से दो वर्ष की परिवीक्षा पर नियमित/पदोन्नत किया जाता है:-

// सेवा की सामान्य शर्तें //

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है, जो किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह के वेतन भत्ते के समतुल्य राशि का भुगतान कर सेवायें समाप्त की जा सकेंगी तथा यदि आप सेवात्याग करना चाहें तो एक माह पूर्व लिखित सूचना अथवा उसके एवज में एक माह के वेतन-भत्तों के समतुल्य राशि संबंधित शीर्ष में शासन के पक्ष में चालान द्वारा जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा उक्त राशि भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल की जावेगी।
2. जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त शासकीय सेवा योग्य होने का आरोग्यता प्रमाण पत्र एक माह के अंदर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा तत्काल प्रभाव से सेवायें समाप्त की जावेंगी।
3. मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम 6(6) अनुसार दो से अधिक संतान न करने का पालन सुनिश्चित करेंगे, उक्त नियम का पालन न करने पर सेवायें तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेंगी।
4. मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल के परिपत्र क्र. एफ-9/3/2003/नियम/चार, भोपाल दिनांक 13.04.2005 के अनुसार नवीन परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के नियम लागू होंगे।

5. प्रथम नियुक्ति के समय सेवा-पुस्तिका में अपने समस्त शैक्षणिक व अर्हकारी प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर उल्लेख कराना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति के शैक्षणिक योग्यता में वृद्धि हेतु किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेकर अथवा स्वाध्यायी परीक्षा में सम्मिलित नहीं होंगे। इसके अलावा किसी अन्य नियोजन के लिए बिना अनुमति व अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आवेदन नहीं कर सकेंगे।
6. नियुक्ति के समय प्रस्तुत किये गये शैक्षणिक एवं अर्हकारी प्रमाण-पत्र असत्य अथवा कूटरचित पाये जाने पर आपके विरुद्ध अनुशासनिक तथा अभियोजन संबंधी कार्यवाही की जावेगी।
7. इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि आपके विरुद्ध कोई दाण्डिक कार्यवाही किसी न्यायालय में विचारण हेतु अथवा किसी थाने में अनुसंधान हेतु लंबित नहीं है। इसके अलावा किसी भी दण्ड न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये दोषी नहीं ठहराया गया है। यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। संबंधित पुलिस अधीक्षक के माध्यम से चरित्र सत्यापन कराए जाने पर सेवा के अयोग्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी तथा असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने पर अभियोजन के भागी होंगे।
8. शासकीय सेवक का सम्पूर्ण समय शासनाधीन है, जिनकी किसी भी समय सेवायें ली जा सकती हैं। इसके अलावा अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे और न ही सामान्यतः स्वीकृत अवकाश से अधिक उपभोग करेंगे।
9. मध्यप्रदेश सिविल सेवा(आचरण) नियम 1965 एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 तथा मध्यप्रदेश जिला न्यायालय स्थापना (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2016, संशोधित नियम 2019, के प्रावधान लागू होंगे।
10. चयनित अभ्यर्थी का तीन वर्ष तक अंतरमण्डलीय स्थानांतरण सामान्यतः प्रतिबंधित रहेगा, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासकीय आधार पर अंतरमण्डलीय स्थानांतरण किया जा सकेगा।
11. नियुक्ति आदेश प्राप्त होने की दिनांक से 15 दिवस के अंदर कार्यभार ग्रहण कर उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।


(मनोज कुमार श्रीवास्तव)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म0प्र0)

8464

पृष्ठांकन क्रमांक...../तीन-3-4/2000

28

भोपाल दिनांक सितम्बर, 2026

1. जिला कोषालय अधिकारी, भोपाल म.प्र.
2. जिला रजिस्ट्रार, कार्यालय प्रधान जिला न्यायालय, भोपाल
3. वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, जिला न्यायालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित अभ्यर्थी श्री विजय सिंह भदौरिया की ओर पालनार्थ प्रेषित है।
5. लेखापाल/देयक लिपिक/सेवा पुस्तिका संधारण लिपिक/ओ.एम कार्यालय अनुभाग/सी.पी.एफ. पासबुक लिपिक जिला न्यायालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, भोपाल की ओर ई-मेल से भेजने के लिये एवं जिला न्यायालय भोपाल की वेबसाइट पर दर्शित करने के लिये प्रेषित है।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
भोपाल (म0प्र0)